भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3982
उत्तर देने की तारीख 17 जुलाई, 2019

भारत नेट परियोजना में अनियमितताएं

3982. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव, श्री भर्तृहरि महताब एवं श्री राहुल रमेश शेवलेः

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार देश में भारतनेट परियोजना के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को ब्राडबैंड से जोड़ने के लक्ष्य को प्राप्त करने में पीछे चल रही है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और
(ग) संपूर्ण भारत में भारतनेट परियोजना के कार्यान्वयन में अनियमितताओं के संबंध में सरकार को कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और सरकार द्वारा ऐसी शिकायतों पर अब तक राज्य-वार क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

उत्तर

संचार, विधि और न्याय तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) एवं (ख) देश की लगभग सभी 2,50,000 ग्राम पंचायतों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए भारतनेट परियोजना को चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जा रहा है। दिसम्बर, 2017 में, 1 लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ते हुए भारतनेट परियोजना के चरण-। को पूरा कर लिया गया था। दिनांक 19.07.2017 को मंत्रिमंडल द्वारा भारतनेट परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए संशोधित कार्यनीति को मंजूरी दी गई, जिसमें जीपी को जोड़ने के लिए मीडिया का इष्टतम मिश्रण, राज्य आधारित मॉडल, निजी क्षेत्र, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसयू) मॉडल द्वारा कार्यान्वयन; ब्लॉक से जीपी तक नया फाइबर बिछाना और सभी ग्राम पंचायतों में अंतिम छोर तक की कनेक्टिविटी स्थापित करना शामिल है। दिनांक 04.07.2019 की स्थिति के अनुसार कुल 1,21,416 ग्राम पंचायतें (ब्लॉक मुख्यालय सहित) सेवा के लिए तैयार हैं। भारतनेट की राज्य-वार स्थिति **अनुबंध-।** के रूप में संलग्न है।

जारी......2

परियोजना के प्रारंभिक कार्यान्वयन में निम्नलिखित कारणों से देरी हुई थी:

(i) ग्राम पंचायतों के क्षेत्र सर्वेक्षण और प्रौद्योगिकी मॉडल के प्रायोगिक परीक्षण के कारण परियोजना के कार्य को वर्ष 2014 की दूसरी छमाही के दौरान ही शुरू किया जा सका जिसके कारण परियोजना को आंरभ करने में विलंब हुआ।

(ii) ग्राम पंचायतों को कवर करने और मार्गाधिकार के (आरओडब्ल्यू) के मामलों के लिए केवल एक ही मीडिया है अर्थात भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर (ओएफसी)

मई, 2016 से, निम्नलिखित समितियों का गठन होने से मामलों का समय से समाधान किया जा रहा है:-

i) सचिव, दूरसंचार विभाग (डीओटी) के अधीन सशक्त समिति

ii) प्रशासक, सार्वभौमिक सेवा दायित्व कोष (यूएसओएफ) के अधीन संचालन समिति

iii) राज्य स्तरीय मामलों के समाधान के लिए प्रमुख महा प्रबंधक (सीजीएम), भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के अधीन राज्य समिति

(ग) दूरसंचार विभाग के सतर्कता स्कंध और भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल) द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, ब्यौरे **अनुबंध-II** पर दिए गए हैं।

<u>अनुबंध-I</u>

दिनांक 04.07.2019 की स्थिति के अनुसार भारतनेट की स्थिति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सेवा के लिए तैयार ग्राम पंचायतें (बीएचक्यू सहित)
1	आंध्र प्रदेश	1502
2	अरुणाचल प्रदेश	164
3	अंडमान और निकोबार	0
4	असम	1622
5	बिहार	6216
6	चंडीगढ़	13
7	छत्तीसगढ़	4088
8	दादरा और नगर हवेली	21
9	दमन और दीव	18
10	गुजरात	6219
11	हरियाणा	6188
12	हिमाचल प्रदेश	241
13	जम्मू और कश्मीर	905
14	झारखंड	2409
15	कर्नाटक	6166
16	केरल	1129
17	लक्षद्वीप	0
18	मध्य प्रदेश	12725
19	महाराष्ट्र	15173
20	मणिपुर	325
21	मेघालय	192
22	मिजोरम	41
23	नागालैंड	123
24	ओडिशा	3660
25	पुडुचेरी	101
26	पंजाब	8806
27	राजस्थान	8655
28	सिक्किम	17
29	तमिलनाडु	0
30	तेलंगाना	2047
31	त्रिपुरा	549
32	उत्तर प्रदेश	28405
33	उत्तराखंड	1518
34	पश्चिम बंगाल	2178
कुल		**121416**

जारी.....4

अनुबंध-II

भारतनेट के कार्यान्वयन में अनियमितताओं के संबंध में प्राप्त शिकायतों का विवरण:

क्र.स.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम**	**शिकायतों की संख्या**	**की गई/की जा रही कार्रवाई**
1	मेघालय	2	केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा जांच के अधीन।
2	उत्तर प्रदेश	6	सभी 6 शिकायतों का समाधान कर दिया गया है।
3	मध्य प्रदेश	1	शिकायतों का समाधान कर दिया गया है।
4	दिल्ली	3	2 शिकायतों का समाधान कर दिया गया है और एक शिकायत की जांच की जा रही है।
5	बिहार	1	भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) भारतीय पॉवर ग्रिड कारपोरेशन लिमिटेड (पीजीसीआईएल) एवं भारतीय रेलटेल कारपोरेशन लिमिटेड (रेलटेल) को सलाह (एडवारजरी) दी गई
6	महाराष्ट्र	2	जांच के अधीन

*****